संख्या021/वीजीएल/051
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कताभवन, जीपीओ काम्प्लैक्स,
ब्लाक-ए, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक 06.04.2023

परिपत्र संख्या03/04/23

विषय: आयोग में शिकायतों पर कार्रवाई – तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगने के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग का दिनांक 14.08.2020 का कार्यालय आदेश सं. 08/08/2020.

आयोग के दिनांक 14.08.2020के कार्यालय आदेश संख्या 08/08/20के आंशिक संशोधन में,आयोग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों को शिकायतें भेजने का निर्णय लिया है।

2. आयोग से शिकायत/पत्राचार प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर, केवल सम्बद्ध अभिलेखों/दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार परमुख्य सतर्कता अधिकारियों को तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। तथ्यात्मक रिपोर्ट को अग्रेषित करते हुए,मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भी अपनी सिफ़ारिशें/विचार स्पष्ट शब्दों में देने चाहिए।

3. मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त निदेशों को नोट किया जाए।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

(i) भारत सरकारके मंत्रालयों/विभागों /सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।
(ii) सीवीसी की वेबसाइट